संख्या-19/2017/453एम/नौ-5-2016-33बजट/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
स्वार जनपद रामपुर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषय- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू कार्यो हेतु अन्तिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, स्वार को शासनादेश संख्या-285/2016/2617/नौ-5-2016-33बजट/2016 दिनांक 06.10.2016 द्वारा सडक सुधार हेतु सडकों के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 1560.44 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 780.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 780.22 लाख धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा स्वीकृत कार्यो क्रमशः क्रमांक-5, 6 व 7 जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 212.84 लाख है, के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 106.42 लाख होती है, को जनहित में अपरिहार्यता की स्थिति में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि एवं पालिका निधि से टेण्डर आमंत्रित कर किया गया। उक्त स्वीकृत कार्यो के स्थान पर 04 अन्य कार्यो जिसकी लागत रू0 243.76 लाख बतायी गयी, से उसी वित्तीय एवं प्रशासकीय धनराशि के अन्तर्गत कराये जाने की अनुमति चाही गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2016 के प्रस्तर-2 में यह शर्त निहित है कि स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। चूँकि स्वीकृत कार्यो से भिन्न कार्य कराया जाना उक्त शर्त के विपरीत है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त कार्यो के सापेक्ष निर्गत की गयी प्रथम किश्त की धनराशि रू0 106.42 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा करने का निर्णय लेते हुए शासन द्वारा शासनादेश संख्या-3725/नौ-5-2016-33बजट/2016 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये। शासनादेश संख्या-352/2016/3704/नौ-5-2016-33बजट/2016 दिनांक 13.12.2016 द्वारा रू0 200.00 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी।

2. अतएव सम्यक विचारोपरान्त नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर को वित्तीय वर्ष 2016-17 में चालू कार्यो हेतु अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू. 473.80 लाख **(रू. चार करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार** निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

c/c

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	संशोधित निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर	नगर पालिका परिषद, स्वार	1.285/2016/2617/नौ-5-2016-33बजट/2016 दिनांक 06.10.2016 2.352/2016/3704/नौ-5-2016-33बजट/2016 दिनांक 13.12.2016	1347.60	673.80 (संशोधित) 200.00	
			योग			473.80

(रू0 चार करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-03-2017 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) प्रश्नगत निकाय को शासनादेश दिनांक 06.10.2016 एवं 13.12.2016 के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते भी यथावत रहेगीं।

(6) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 13.12.2016 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अवमुक्त धनराशि रू0 106.42 लाख राजकोष में जमा कराने के उपरान्त ही पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 473.80 लाख कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी।

3. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक2215 -जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193 /नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-यपार विकास निधि से व्यव्या 0प्र0उ-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35तियों के सृजन हेतु अनुदानपूँजीगत परिसम्प- से पुनर्विनियोग कर

लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231-2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- बी0एम0-9

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-19/2016/453एम(1)/नौ-5-2016-33बजट/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी, रामपुर।
4. कोषाधिकारी, रामपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा

वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रू. में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	500000	47380	47380	47380	452620
योग	500000	47380	47380	47380	452620

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
'2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'	400000	447380	47380	47380	447380
योग	400000	447380	47380	47380	447380

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगरीय जल निकासी योजना में फिलहाल धनराशि निर्गत न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के कारण् उक्त धनराशि की तात्कालिकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-348-ई-8-3318/दस-2016, दिनांक 06 जनवरी, 2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-453(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी, रामपुर
4. कोषाधिकारी, रामपुर।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर।
8. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-10/01/2017

प्रेषण संख्या:- 19

आवंटन आदेश संख्या:- 001-19-2017-453M-9-5-2016-33B-2016

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	47380000	47380000
		प्रगामी	166564000	166564000
	योग	वर्तमान	47380000	47380000
		प्रगामी	166564000	166564000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ पैंसठ लाख चौसठ हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी